उत्तर प्रदेश शासन
गृह(पुलिस)अनुभाग-3
संख्या-- 858 पी/छः-पु-3-2014-2(79)पी/2011
लखनऊः दिनांकः 21 मार्च, 2014

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि धरना-प्रदर्शनों/जुलुसों/आन्दोलनों/ सार्वजनिक उपक्रमों आदि के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-1057/छः-पु-3-2011-63पी/10, दिनांक 27.04.2011 व शासनादेश संख्या-1507/छः-पु-3-2011-63पी/10, दिनांक 17.06.2011 के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-4818/11 (पी०आई०एल०) नैतिक पार्टी व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.12.2013 में यह निर्देश मुख्यतः दिये गये हैं कि उक्त शासनादेशों को परिमार्जित किये जाने हेतु समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के विचार तथा विभिन्न संगठनों के मतों को प्राप्त कर, सम्मिलित करते हुये एक पुनरीक्षित शासनादेश निर्गत किया जाये जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों का ध्यान रखा जाये।

2- अतः इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.12.2013 के अनुपालन में कार्यवाही किया जाना है। इस हेतु आपके विचार/मत की आवश्यकता है, जिसे कृपया 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि निर्गत किये जाने वाले पुनरीक्षित दिशा निर्देशों में आपके विचारों/मतों को सम्मिलित करने पर विचार कर निर्णय लिया जा सके। अतः अपने विचार/मत/सुझाव नीचे लिखे पते या ई-मेल पर कृपया उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(1) अनु सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग-3, उ०प्र० शासन, लाल बहादुर शास्त्री भवन, लखनऊ।
(2) shome@nic.in
(3) info@uphome.in

कमल सक्सेना
सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक, सूचना विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
2- पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ को इस अनुरोध से प्रेषित कि उक्त सूचना प्रसारित किये जाने हेतु पुलिस विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
3- मीडिया प्रभारी, गृह विभाग, उ०प्र० शासन को इस अनुरोध से प्रेषित कि गृह विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(प्रकाश नरायन)
संयुक्त सचिव।

Uo

(27)

संख्या– 1057/छः–पु–3–2011–63 पी/10

प्रेषक,

कुँवर फतेह बहादुर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिला प्रभारी पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक: 27 अप्रैल, 2011

विषयः धरना–प्रदर्शनों/जुलूसों/आन्दोलनों/सार्वजनिक कार्यक्रमों आदि के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश।

महोदय,

यह देखा गया है कि अपनी माँगों की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु विभिन्न संगठनों, वर्गों, राजनैतिक दलों या नागरिकों द्वारा प्रायः धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैलियों आदि का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार के कार्यक्रमों का शान्तिपूर्ण आयोजन उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, परन्तु कई बार उक्त आयोजन हिंसक रूप धारण कर लेते हैं जिसके कारण अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और जनसामान्य को व्यापक असुविधा होती है। खास तौर से सड़क मार्ग और रेल मार्ग को बाधित करने से न केवल सार्वजनिक यातायात अवरुद्ध हो जाता है, बल्कि जनसामान्य का आवागमन एवं आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति भी गम्भीर रूप से प्रभावित होती है। आन्दोलन के दौरान प्रायः सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्तियों को भी क्षति पहुँचायी जाती है। इस प्रकार की गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु कई बार जिला प्रशासन को आवश्यक बल–प्रयोग करना पड़ता है जिसके कारण सामान्य जनजीवन अस्त–व्यस्त होता है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि उपरोक्त गतिविधियों/प्रवृत्तियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जाये और ऐसी व्यवस्था की जाये जिससे शान्ति–व्यवस्था बरकरार रहे एवं सामान्य जन–जीवन प्रभावित न हो तथा सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्तियों की क्षति को रोका जा सके।

2– जनतान्त्रिक प्रणाली में अपने विचारों, मांगों, अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता संवैधानिक रूप से एक मूलभूत अधिकार है किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि सार्वजनिक सेवाओं एवं सुविधाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हुए सामान्य जनजीवन को अस्त–व्यस्त कर दिया जाय। इस संबंध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्तियों को क्षति बनाम आन्ध्र प्रदेश सरकार व अन्य रिट याचिका संख्या–77/2007 व 73/2007 जे0टी0 2009(6) एससी (1) के अन्तर्गत दिनांक 16.04.2009 को पारित अपने निर्णय में व्यापक दिशा–निर्देश निर्गत किये हैं। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित

उपरोक्त निर्णय में व्यक्त की गई अवधारणाओं के क्रम में निम्नवत् निर्देशित किया जाता है:–

(1) धरना–प्रदर्शन, हड़ताल अथवा जुलूस के आयोजक पुलिस एवं प्रशासन से विचार–विमर्श करने के उपरान्त ऐसे आयोजन का स्थल, मार्ग, समय, पार्किंग एवं अन्य शर्तें निर्धारित करायेंगे। जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि आयोजन हेतु स्थल, समय, आने एवं जाने का मार्ग, आयोजन में प्रतिभाग करने वाले लोगों की संख्या, पार्किंग आदि के विषय में आयोजकों एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों के मध्य पर्याप्त तालमेल रहे। सड़क मार्ग अथवा रेल मार्ग से आने वाले प्रतिभागियों के आवागमन के विषय में संबंधित विभाग से समय से पर्याप्त संयोजन कर सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाय।

(2) आयोजकों द्वारा इस आशय की अन्डरटेकिंग दी जायेगी कि उनके द्वारा आयोजित धरना–प्रदर्शन अथवा हड़ताल शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न होंगे। आयोजन हेतु आवेदन एवं अन्डरटेकिंग का प्रारूप संलग्न है (प्रारूप–क)।

(3) ऐसे आयोजनों में सभी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र प्रतिबन्धित रहेंगे।

(4) ऐसे आयोजनों की जिला प्रशासन द्वारा वीडियोग्राफी कराई जाएगी।

(5) जिला मजिस्ट्रेट आवश्यकतानुसार जनपद में ऐसे धरना–प्रदर्शन स्थलों का निर्धारण कर व्यापक प्रचार–प्रसार करायेंगे ताकि जनसामान्य को उसकी जानकारी रहे।

(6) तहसील स्तरीय धरना–प्रदर्शनों हेतु अनुमति उप जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी की जायेगी। जिला मुख्यालय स्तरीय धरना–प्रदर्शनों हेतु अनुमति जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट (सदर) द्वारा जारी की जायेगी। कार्यक्रम के संबंध में संबंधित थाना, स्थानीय अभिसूचना इकाई तथा यथा–आवश्यकता अन्य विभागों से आख्या प्राप्त कर अनुमति प्रदान की जायगी। अनुमति पत्र का प्रारूप संलग्न है (प्रारूप–ख)।

(7) किसी भी सार्वजनिक अथवा निजी सम्पत्ति को कोई क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी। यदि कोई सार्वजनिक अथवा निजी सम्पत्ति क्षतिग्रस्त की जाती है तो आयोजक से क्षतिपूर्ति की वसूली तथा उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(8) राजनैतिक आयोजनों की जिम्मेदारी संबंधित राजनैतिक पार्टी के जिलाध्यक्ष/प्रदेश अध्यक्ष/राष्ट्रीय अध्यक्ष की होगी। सामाजिक, धार्मिक तथा अन्य आयोजनों की जिम्मेदारी संस्था के मुख्य पदाधिकारी की होगी। आयोजनों के दौरान सार्वजनिक सम्पत्तियों की हुई क्षति की वसूली उपरोक्त उत्तरदायी व्यक्तियों से की जायेगी तथा उनके द्वारा भुगतान न करने की दशा में क्षतिपूर्ति की धनराशि भू–राजस्व के बकाये की भाँति वसूल की जा सकेगी।

3— मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के आलोक में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका मो0 सुजाऊद्दीन बनाम उ0 प्र0 सरकार में आदेश पारित किये गये हैं जिसके अनुपालन में शासनादेश सं0—4131/छः—पु0—14—10— 500(289)/09, दि0 08 जनवरी, 2011 जारी किया गया है जिसमें सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत सम्पत्तियों की क्षति के मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गयी है। शासनादेश की छायाप्रति संलग्न है (संलग्नक—1)।

4— राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था तथा शिष्टाचार एवं सदाचार के हितों को दृष्टिगत रखते हुए एवं समाज में साम्प्रदायिक एवं जातिगत सौहार्द बनाये रखने के उद्देश्य से धरना—प्रदर्शन के आयोजकों के लिए आवश्यक होगा कि वह इस हेतु जिला प्रशासन के सक्षम स्तर से पूर्व अनुमति प्राप्त करेंगे।

5— समाज में साम्प्रदायिक/जातिगत सद्भाव व सौहार्द बना रहे इसके लिए यह आवश्यक है कि किसी भी समुदाय के संत—महात्मा, गुरू व महापुरुष की मूर्ति अथवा संस्था, संग्रहालय, संस्थान या धार्मिक स्थल की अवमानना अथवा क्षति पहुंचाने का कृत्य न किया जाय।

6— यदि किसी व्यक्ति द्वारा उपरोक्त व्यवस्था का उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरूद्ध कानून के तहत उचित कार्यवाही की जाये। उक्त व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करने में असफल रहने पर संबंधित अधिकारियों (थाना प्रभारी/क्षेत्राधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक/महानिरीक्षक तथा उप जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट/मण्डलायुक्त) के विरुद्ध प्रकरण की गम्भीरता के आधार पर संगत नियमों के अन्तर्गत परिनिन्दा प्रविष्टि, संचयी प्रभाव के साथ वेतन—वृद्धि रोकना, पदोन्नति रोकना पदावनति, निलम्बन/बर्खास्तगी की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

27.6.2011

(कुँवर फतेह बहादुर)
प्रमुख सचिव

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार)
सचिव

प्रारूप "क"

धरना/प्रदर्शन/जुलूस/रैली के आयोजन की अनुमति हेतु आवेदन का प्रारूप

1. आयोजक का नाम, पूरा पता तथा दूरभाष/मोबाइल नम्बर
2. कार्यक्रम का उद्देश्य एवं स्वरूप
3. (क) कार्यक्रम का स्थल

   (ख) क्या कार्यकम स्थल के प्रयोग की अनुमति संबंधित व्यक्ति/संस्था/प्राधिकारी से प्राप्त की गयी है ?
4. जुलूस/रैली का प्रस्तावित मार्ग (कहां से कहां होकर कहां तक)
5. कार्यक्रम का समय (कब से कब तक)
6. कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या
7. प्रतिभागी विशिष्ट व्यक्तियों का विवरण

मैंने सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्तियों को क्षति बनाम आन्ध्र प्रदेश सरकार व अन्य रिट याचिका संख्या–77/2007 व 73/2007 जे0टी0 2009(6) एससी (1) के अन्तर्गत दिनांक 16.04.2009 को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका मो0 सुजाऊद्दीन बनाम उ0 प्र0 सरकार में पारित आदेश एवं उसके अनुपालन में जारी शासनादेश सं0–4131/छः–पु0–14–10– 500(289)/09, दि0 08 जनवरी, 2011 एवं शासनादेश संख्या– 1057/छःपु–3–2011–63 पी/10 दिनांक 27–4–2011 की व्यवस्थाओं को समझ लिया है तथा उसके अनुपालन का वचन देता हूँ। उपरोक्त कार्यक्रम शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहूँगा। इस आयोजन से सार्वजनिक मार्ग/यातायात, जनसुविधायें तथा सामान्य जनजीवन पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ने दूँगा। आयोजन की अनुमति के साथ जो भी शर्तें लगायीं जायेंगी उसका अनुपालन मेरे द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

दिनांक :

आयोजक के हस्ताक्षर

नोट:– अनुमति हेतु आवेदन पत्र कार्यक्रम की निर्धारित तिथि से न्यूनतम सात दिन पूर्व सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाये।

(10)

प्रारूप "ख"

धरना/प्रदर्शन/जुलूस/रैली के आयोजन की अनुमति का प्रारू

1. आयोजक का नाम एवं पता
2. कार्यक्रम का विवरण
3. कार्यक्रम का स्थल
4. जुलूस/रैली का मार्ग (कहां से कहां होकर कहां तक)
5. कार्यक्रम का समय (कब से कब तक)

आपके आवेदन पत्र दिनांक ..... के क्रम में उपरोक्त कार्यक्रम की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि आप द्वारा अपने आवेदन पत्र में दी गयी अन्डरटेकिंग के साथ–साथ निम्न शर्तो का पालन किया जायगा:–

1. कार्यक्रम के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र–शस्त्र अपने साथ नहीं रखेगा।
2. कोई भी भाषण, नारेबाजी, पोस्टर, बैनर, प्रदर्शन इस प्रकार का नहीं किया जायेगा, जिससे किसी धर्म, जाति, सम्प्रदाय की भावनायें आहत होती हों।
3. किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति अभद्र भाषा, अश्लील टिप्पणी/ नारेबाजी नहीं की जायेगी।
4. किसी भी सार्वजनिक अथवा निजी सम्पत्ति को कोई क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी। यदि कोई सार्वजनिक अथवा निजी सम्पत्ति क्षतिग्रस्त की जाती है तो आयोजक से क्षतिपूर्ति की वसूली तथा उनके विरूद्व विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
5. राजनैतिक आयोजनों की जिम्मेदारी संबंधित राजनैतिक पार्टी के जिलाध्यक्ष/प्रदेश अध्यक्ष/राष्ट्रीय अध्यक्ष की होगी। सामाजिक, धार्मिक तथा अन्य आयोजनों की जिम्मेदारी संस्था के मुख्य पदाधिकारी की होगी। आयोजनों के दौरान सार्वजनिक सम्पत्तियों की हुई क्षति की वसूली उपरोक्त उत्तरदायी व्यक्तियों से की जायेगी तथा उनके द्वारा भुगतान न करने की दशा में क्षतिपूर्ति की धनराशि भू–राजस्व के बकाये की भाँति वसूल की जा सकेगी।
6. किसी भी संत–महापुरुष की मूर्ति, स्मारक, संस्था, संग्रहालय या धार्मिक स्थल की अवमानना अथवा क्षति कारित नहीं की जायेगी।
7. आयोजन में शामिल होने हेतु आते–जाते समय या स्थल पर दुकानदारों व ठेलेवालों के साथ संयमित व्यवहार किया जायगा।
8. कार्यक्रम के दौरान मौके पर उपस्थित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. यह अनुमति अहस्तान्तरणीय है।

उपरोक्त शर्तो के अनुपालन न होने अथवा किसी भी भांति लोक शान्ति एवं व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होने की स्थिति में उपरोक्त अनुमति स्वतः निरस्त मानी जायेगी तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय, मा0 उच्च न्यायालय एवं शासनादेशों में निहित व्यवस्थाओं तथा सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

दिनांक :

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर
एवं सील